



2026:AHC:129144

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21418 सन् 2026

श्रीमती संजू देवी एवं एक अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता :

संदीप पाण्डेय

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

### न्यायालय संख्या - 71

### माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह तत्काल जमानत आवेदन, आवेदकगण को मुकदमा अपराध संख्या 306 सन् 2025, बी.एन.एस., 2023 की धारा 80(2), 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-मिर्जापुर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आवेदिका संख्या 1 मृतका की सास है तथा आवेदक संख्या 2 मृतका का ससुर है। मृतका का विवाह आवेदकगण के पुत्र के साथ दिनांक 28.11.2023 को सम्पन्न हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकगण के विरुद्ध सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। उनके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। शव-परीक्षण आख्या के अनुसार मृत्यु का कारण फांसी लगाने से हुआ श्वासावरोध है। मृतका के शरीर पर फंदे के निशान के अतिरिक्त चोट का कोई अन्य निशान नहीं पाया गया। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचनाकर्ता की विचारण न्यायालय में अभियोजन साक्षी-1 के रूप में परीक्षित किया गया और उसने अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया; अतः विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। उसने अपने बयान

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में कहा है कि मृतका को दहेज की मांग के लिए क्रूरता एवं उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया गया था। मृतका की माता श्रीमती प्रमिला की भी विचारण न्यायालय में अभियोजन साक्षी-2 के रूप में परीक्षा की गई और उन्हें भी पक्षद्रोही घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि आवेदकगण अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षियों के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण के विरुद्ध कोई अपराध गठित नहीं होता। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदकगण दिनांक 22.07.2025 से कारागार में निरुद्ध हैं और यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकगण को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अपराध में उनकी संलिप्तता के संबंध में उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं; अतः वे जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी नहीं हैं।

5. मैंने पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदकगण द्वारा कारागार में बिताई गई अवधि तथा किसी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करने और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदकगण ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु पर्याप्त आधार स्थापित कर दिया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदकगण- श्रीमती संजू देवी और शिव कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

*"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



(i) आवेदकगण इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेंगे कि साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, वे कोई स्थगन नहीं मांगेंगे। इस शर्त का उल्लंघन होने पर विचारण न्यायालय को इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

(ii) आवेदकगण प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की दशा में विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 229-ए/बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदकगण विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 82/बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदकगण ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध विधि के अनुसार आई.पी.सी. की धारा 174-ए/बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदकगण (1) वाद प्रारंभ किए जाने, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) सी.आर.पी.सी. की धारा 313/बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदकगण की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय को ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उनके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां, साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

*"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



24 जून, 2026

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

कीर्ति

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"